कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत।

संख्या 461 / जि0अधि0 / व्यवस्थापन / 2023–24 / चम्पावत दिनांक 23 मार्च, 2024

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 148 (1)/XXIII-1/ 2024–04(01)/ 2024 देहरादून दिनांकः 21, फरवरी, 2024 आयुक्तालय के पत्र संख्याः 27769/सात लाई0–47/आबकारी नीति–2024 देहरादून/दिनांक 22.03.2024 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु जनपद चम्पावत की निम्नवत् देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से कराया जाना है। मदिरा दुकानों का विवरण निम्नवत् है।

क्र0 सं0	मदिरा दुकान का नाम	प्रस्तावित मदिरा उप दुकान का नाम	प्रकार	निर्धारित राजस्व	निर्धारित लाईसेंस फीस	वार्षिक अधिभार	प्रथम प्रतिभूति	धरोहर धनराशि (कुल राजस्व का 2.5 प्रतिशत)	हैसियत धनराशि (कुल राजस्व का 15 प्रतिशत)
1	चम्पावत	1. अमोड़ी 2.मंच	विदेशी	113529205	1135000	112394205	9366184	2838230	17029381
2	बनबसा	एन0एच0पी0सी0 रोड	विदेशी	45928960	459000	45469960	3789163	1148224	6889344
3	टनकपुर	पिथौरागढ़ चुंगी	विदेशी	93293200	933000	92360200	7696683	2332330	13993980
4	पाटी	कुल्याल गांव – रीठा रोड	विदेशी	41637473	416000	41221473	3435123	1040937	6245621
5	लोहाघाट	घाट–पनार रोड	देशी	71857378	719000	71138378	5928198	1796434	10778607
6	बनबसा	एन0एच0पी0सी0 रोड	देशी	41858535	419000	41439535	3453295	1046463	6278780

उक्तानुसार सम्पूर्ण भारत के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में, आयकर लेखा (पेन कार्ड) आधार कार्ड, 10 करोड़ या अधिक राजस्व के लिए न्यूनतम वार्षिक आय 7 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकानों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख का विगत 02 वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप जी0–39 में प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रू 65,000/– का ड्राफ्ट (अप्रतिदेय) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट , जो जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत के नाम देय हो, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। लॉटरी हेतु आवेदन पत्र दिनांक 26.03.2024 से दिनांक 27.03.2024 का सायं 05:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत में जमा किये जायेगे। लॉटरी के माध्यम से मदिरा दुकानों का आवंटन दिनांक 28.03.2024 को अपरान्ह् 03:00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला सभागार, जनपद चम्पावत में सम्पन्न किया जायेगा। जनपद की मदिरा दुकानों से सम्बन्धित अधिक जानकारी विभागीय वेबसाईड www.uttrakhandexcise.org.in, uk.gov.nic.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों दूरभाष नं0– (7579098094/7351722391) के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

प्र0 जिला आबकारी अधिकारी,
चम्पावत

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।
3. जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत उक्त विज्ञप्ति को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक दैनिक हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम स्थान पर निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से दिनांक 24.03.2023 को सम्पूर्ण भारत वर्ष के अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

प्र0 जिला आबकारी अधिकारी,
चम्पावत।

Scanned with CamScanner